रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 1987/भाद्र 20, 1909
No. 457] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 1987/BHADRA 20, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय

(श्रम प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1987

अधिसूचना

का.आ. 820(अ) :—चूंकि भारत में रजिस्ट्रीकृत गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1968 को रद्द करने के लिए मसौदा स्कीम, गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार, जल–भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना का. आ.सं. 212 (अ), दिनांक 13 मार्च, 1987 के साथ प्रकाशित की गई थी जिसमें इससे

उन सभी व्यक्तियों से इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिनों के अंदर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी,

और चूंकि उक्त मसौदे पर जन साधारण से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है,

इसलिए अब केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, मुखतः

1. (1) लघु शीर्ष एवं आरंभ :—यह स्कीम कंडला और गैर पंजीकृत गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) रिवोकेशन स्कीम, 1987 कही जाएगी।

(2) यह, इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. स्कीम का समापन :—कंडला गैर पंजीकृत गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1968 एतद्द्वारा समाप्त की जाती है।

[फा.सं.एल.बी.—13013/7/86—एल-4]

पी. एम. अब्राहम, अपर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Labour Division)

New Delhi, the 11th September, 1987

NOTIFICATION

S.O. 820(E).—Whereas draft scheme to revoke the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 was published, as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), with the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Transport Wing) No. S.O. 212(E), dated the 13th March, 1987 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of 45 days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Scheme, namely :—

1. (1) Short title and commencement : This Scheme may be called the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Revocation Scheme, 1987.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Revocation of Scheme :—The Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 is hereby revoked.

[F. No. LB-13013|7|86-IV]

P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987